उत्तर प्रदेश शासन

राजस्व अनुभाग-1

संख्या-49/1106/एक-1-2016-5(99)/2014

लखनऊ: दिनॉक: 22 अगस्त, 2016

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम,1950 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 1951) की धारा 117 की उपधारा (6) के साथ पठित उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 231 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके एवं शासनादेश संख्या-प्र0स0-474/एक-1/2008-5-1(48)/2008-78, दिनॉक 19.12.2008 में दिये गये निर्देशों/शर्तो के अधीन एवं इस सीमा तक और सरकारी आदेश संख्या-68/तीन-2(6)/1979-राजस्व-1, दिनॉक 01 जुलाई, 1983 का आंशिक उपान्तर करके श्री राज्यपाल महोदय नीचे दी गयी अनुसूची में उल्लिखित भूमि, जो कि पूर्व में आदेश संख्या-68/3-2(6)/1979-रा0-1, दिनॉक 05 सितम्बर, 1986 द्वारा यथा संशोधित उक्त आदेश द्वारा इस अनुसूची के स्तम्भ-5 में उल्लिखित गॉव सभा में निहित की गई थी, का पुनर्ग्रहण करते हुए ग्रेटर नोयडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण हेतु औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निवर्तन पर रखते है।

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गॉव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल (हे0 में)	विवरण/प्रयोजन
1	2	3	4	5	6	7	8
1	गौतमबुद्धनगर	सदर	दादरी	गुलिस्तान पुर	3 मि0	0.011	औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निवर्तन पर रखते हुए ग्रेटर नोयडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के सुनियोजित विकास हेतु
2					7 मि0	0.021	
3					16	0.070	
4					18 मि0	0.018	
5					40 मि0	0.016	
6					304 मि0	0.042	
7					305	0.090	
8					309 मि0	0.006	
9					318	0.064	
10					359 मि0	0.282	
11					368 मि0	0.291	

shasnadesh.up.nic.in

12					370	0.243	
13					389	0.210	
14					409	0.051	
15					413	0.071	
16					430	0.028	
17					434	0.030	
18					445	0.268	
19					450 मि0	0.005	
20					455	0.036	
21					468	0.085	
22					484	0.017	
23					493	0.160	
24					513 मि0	0.720	
25					523 मि0	0.217	
26					530	0.028	
27					531	0.055	
28					538	0.177	
29					539	0.088	
30					556	0.022	
31					557	0.039	
32					562	0.145	
33					563	0.083	
34					571	0.164	
35					585	0.102	
36					587	0.328	
37					595	0.070	
38					596	0.039	
39					603	0.052	
40					604	0.023	

shasnadesh.up.nic.in

-3-

41					612	0.066	
42					613	0.032	
43					624	0.013	
44					625	0.006	
45					629	0.028	
46					630	0.061	
47					638	0.011	
48					639	0.025	
49					645	0.226	
50					655	0.144	
51					656	0.038	
52					657	0.089	
53					658	0.197	
54					669	0.135	
55					670	0.082	
56					682	0.041	
57					683	0.104	
58					696	0.019	
59					697	0.035	
60					705 मि0	0.429	
61					706	0.139	
62					713	0.190	
63					723	0.059	
64					724	0.120	
65					726	0.032	
66					733	0.046	
67					735	0.062	
68					736	0.099	

shasnadesh.up.nic.in

69					747	0.049	

-4-

70					748	0.083	
71					767	0.018	
72					775	0.059	
73					776	0.126	
74					793	0.015	
75					794	0.033	
76					799	0.186	
77					800	0.029	
78					801	0.074	
79					821	0.019	
80					822	0.039	
81					831	0.047	
82					832	0.024	
83					844	0.039	
84					845	0.023	
85					848	0.003	
86					849	0.009	
87					907	0.076	
88					908	0.052	
89					911	0.027	
90					912	0.049	
91					923	0.065	
92					924	0.112	
93					928	0.057	
94					929	0.036	
95					941	0.188	
96					942	0.095	

shasnadesh.up.nic.in

				योग	कुल 96 गाटा	8.627 हे0	

-5-

2. इस आदेश की प्रतियॉ कलेक्टर न्यायालय के सूचना पट पर तहसील भवन तथा सम्बन्धित ग्राम में किसी सहज दृश्य स्थान पर चस्पा करायें तथा प्रत्येक स्थान पर उक्त आदेश के चस्पा होने की तिथि अंकित करते हुए अनुपालन आख्या राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन तथा औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

3. यह भी अपेक्षित है कि शासनादेश संख्या-1761/एक-1-2015-5-1(43)/2009-53, दिनॉक 20.11.2015 के अनुसार भूमि की कीमत ग्रामीण क्षेत्र में चार गुना तथा शहरी क्षेत्र में दो गुना प्रचलित बाजार मूल्य या जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट जो अधिक हो तथा शासनादेश संख्या-888/एक-1/04-रा0-1, दिनॉक 14-09-2004 के अनुसार उक्त भूमि की नयी दरों पर निकाली गई मालगुजारी के 150 गुना के बराबर पूंजीकृत मूल्य/वार्षिक किराया लेखाशीर्षक "0029-भू राजस्व-800-अन्य प्राप्तियॉ-08-मालिकाना राजस्व-0806-प्रकीर्ण प्राप्तियॉ" के नाम जमा कराये जाने की सूचना तथा चालान की प्रति राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन तथा औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उक्तानुसार वॉछित धनराशि जमा कराये जाने के पश्चात भूमि का कब्जा ग्रेटर नोयडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण को दिया जायेगा। वार्षिक किराया प्रति वर्ष देय होगा। ग्राम सभा की उक्त भूमि औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निवर्तन पर रखी जायेगी ।

4. ग्रेटर नोयडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के उपयोगार्थ सार्वजनिक उपयोग की भूमि यथा-चकमार्ग, चकरोड, मुख्य मार्ग, रास्ता, खेडा व नाली की भूमि का पुनर्ग्रहण इस शर्त के अधीन किया जा रहा है कि ग्रेटर नोयडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा चकमार्ग, चकरोड, मुख्य मार्ग, खेडा व रास्ता की भूमि का पुनर्ग्रहण होने के उपरान्त ग्रामवासियों का आवागमन बाधित नहीं करेंगे तथा नाली के माध्यम से हो रहे सिंचाई की सुविधा तथा पानी के नैसर्गिक बहाव को भी अवरूद्व नहीं करेंगे।

5. सार्वजनिक उपयोग की भूमि यथा-प्याऊ, आबादी कीभूमि का पुनर्ग्रहण इस शर्त के अधीन किया जा रहा है कि ग्रेटर नोयडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा उक्त भूमि की वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। वैकल्पिक व्यवस्था किये जाने पर भूमि का मूल्य नहीं लिया जायेगा। शासनादेश संख्या-963/एक-1-2004-1-1(10)/2002-15-रा0-1, दिनॉक 30.06.2004 के

shasnadesh.up.nic.in

अनुसार सार्वजनिक उपयोग की भूमि की वैकल्पिक व्यवस्था की जायेगी। उक्त सभी शर्तो एवं प्रतिबन्धों का कड़ाई से अनुपालन जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

-6-

6. जिलाधिकारी द्वारा शासनादेश संख्या-प्र0स0-474/एक-1/2008-5-1(48)/2008-78, दिनॉक 19.12.2008 में दिये गये निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन कराया जाय तथा निर्धारित प्रारूप पर यथा निर्देश पुनर्ग्रहण की सूचना भी उपलब्ध कराया जाये।

आज्ञा से,

(अरविन्द कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या-1106(2)/एक-1-2016-5(99)/2014 तद् दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ ।
4. जिलाधिकारी, गौतमबुद्वनगर को उनके पत्र संख्या-1248/डीएलआरसी/2012-13, दिनॉक 06.10.2012 के सन्दर्भ में
5. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नोयडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, एच0 169, सेक्टर गामा, ग्रेटर नोयडा, जनपद गौतमबुद्वनगर ।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जय प्रकाश सगर)
विशेष सचिव।

shasnadesh.up.nic.in